झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–1768 वर्ष 2018

अशोक कुमार साव .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग,

   झारखण्ड सरकार

3. उपायुक्त, हजारीबाग

4. प्रभारी अधिकारी, बरही पुलिस स्टेशन, हजारीबाग

5. प्राधिकृत अधिकारी–सह–विभागीय वन अधिकारी, पश्चिम डिवीजन, हजारीबाग

.... प्रत्यर्थीगण

उपस्थित : **माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री प्रदीप कुमार प्रसाद, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी राज्य के लिए :– श्री अतनु बनर्जी, जी0ए0।
श्री कौस्ताव पांडा, जी0ए0 का ए0सी0।

आदेश संख्या 05 **दिनांक 19.11.2018**

वर्तमान रिट याचिका रिभिजन केस सं0 76 वर्ष 2017 (रिट याचिका का अनुलग्नक–6) में प्रत्यर्थी सं0 2–अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा पारित दिनांक 20.11.2017 के आदेश को रद्द

करने के लिए दायर की गई है, जिसके द्वारा कनफीसकेशन अपील सं0 09 वर्ष 2016 में प्रत्यर्थी सं0 3–उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 14.02.2017 के आदेश को प्रत्यर्थी सं0 2 द्वारा अपास्त कर दिया गया, जिसके द्वारा वाहन, ट्रक सं0 एन0एल0 01 जी0–9776 को 50,000/– रूपये के सुरक्षा बांड प्रस्तुत करने पर, न्यायालय के आदेश के अध्यधीन, छोड़ देने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्त्ता ने उक्त ट्रक को तुरंत रिहा करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए प्रत्यर्थी अधिकारियों से आगे प्रार्थना की है।

2. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं प्रत्यर्थी सं0 2 के द्वारा दिनांक 20.11. 2017 को पारित आक्षेपित निर्णय के अवलोकन पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी सं0 3 के द्वारा पारित आदेश में त्रुटियों को पाए जाने के बाद उक्त अधिकारी ने अपील को नए सिरे से सुनने एवं युक्तियुक्त आदेश पारित करने के निर्देश के साथ मामले को वापस उनके पास भेज दिया। यह भी प्रतीत होता है कि उक्त आदेश एक वर्ष पहले पारित किया गया था। याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 3 के पास मामले की वर्तमान स्थिति, प्रत्यर्थी सं0 2 के द्वारा वापस भेजने के बाद, के बारे में इस न्यायालय को अवगत नहीं करा पाए हैं।

3. इस प्रकार, यह ध्यान में रखते हुए कि प्रत्यर्थी सं0 2 के द्वारा दिनांक 20.11. 2017 को पारित आक्षेपित निर्णय एक रिमांड आदेश है, मुझे इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है।

4. तद्नुसार रिट याचिका को खारिज किया जाता है। याचिकाकर्त्ता, हालांकि, कानून के तहत प्रदान करने वाली उचित सहारा लेने के लिए स्वतंत्र है, यदि स्थिति उत्पन्न होतीहै।

ह0

(राजेश शंकर, न्याया0)